

न्यायालय:- संजोग सिंह वाघेला, षष्ठम व्यवहार न्याया. वर्ग-1 एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास म.प्र.

// वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक प्रकरणों के सुनवाई की सूचना //

कमांक क्यू / / कोरोना वायरस / 2020

देवास दिनांक 09.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र कमांक क्यू-12, दिनांक 04.05.2020 द्वारा राज्य की समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु निर्देशित किया है जिनमें अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरण सम्मिलित है। अतः इस न्यायालय में अंतिम तर्क के प्रक्रम पर नियत निम्नलिखित प्रकरणों में सुनवाई हेतु पूर्व नियत दिनांक को निरस्त करते हुये उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लिये जाने हेतु निम्नानुसार आगामी दिनांक नियत की गई है :-

कमांक	प्रकरण कमांक	पक्षकारों का नाम	आगामी नियत दिनांक	प्रक्रम
1.	2ए/2018	प्रकाश बाई विरुद्ध नारायण	11.05.2020	अंतिम तर्क
2.	42ए/2016	गोपाल विरुद्ध कैलाश आदि	12.05.2020	अंतिम तर्क
3.	26ए/2016	मो. इब्राहिम विरुद्ध ब्राइट स्टार	13.05.2020	अंतिम तर्क
4.	2022/2019	राज्य विरुद्ध धर्मेन्द्र	14.05.2020	अंतिम तर्क
5.	62/2016	पृथ्वी कंस्ट्रक्शन विरुद्ध सादिक भाई	15.05.2020	अंतिम तर्क

नोट:- सभी अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण से अपेक्षा है कि वे यथासंभव अंतिम तर्क निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे, जिससे वर्तमान परिस्थिति में उन्हें एवं न्यायालय को सुविधा होगी।

(संजोग सिंह वाघेला)
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास म.प्र.